2 5/24.

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुयी
है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की
प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा - 212 राज० काश्तकारी

सहायक कलेक्टर
जयपुर प्रथम, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:37:09 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर, जयपुर शुभलक्ष्मी बनाम जयलक्ष्मी
(1) केस संख्या T/ - 11423

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	02-05-24	अधिनियम पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है, लिखित बहस शा. मि. है। दौराने बहस प्रार्थीया ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि प्रार्थना-पत्र के चरण संख्या-2 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें अप्रार्थी, प्रार्थीगणा को शांतिपूर्वक कब्जा-काश्त नहीं करने देते हैं और ना ही सहमति के आधार पर विभाजन चाहते हैं। इन्हीं तथ्यों एवं शपथ-पत्र के आधार पर प्रथम-दृष्टया मामला ~~प्रार्थीगणा~~ प्रार्थीगणों के पक्ष में होना बताया है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगणों के पक्ष में इसी आधार पर होने का कथन किया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी जाहिर किया कि यदि अप्रार्थीगणों को पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगणों को अपूरणीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:37:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर शहर, जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय ____________________

गुलाबदेवी व अन्य ____________ बनाम लाली देवी व अन्य ____________

मुकदमा संख्या / वर्ष 51/2023 / 20____

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02-05-24	क्षति कारित होने की सम्भावना का कथन किया है प्रार्थीगणों ने अपनी बहस के पक्ष में निम्न नजीरें पेश की- 1. RRT - 2023 (2) Page 914. 2. RRT - 2023 (2) Page 919. 3. RRT - 2023 (2) Page 1359 4. RRT 2009 (2) Page 1053 5. RRT 2009 (1) Page 141 6. RRT 2009 (1) Page 536 7. RRT 2003 (1) Page 516 8. RRT 2009-10 (Supp.) Page 220 9. RRT 2021 (1) Page 1325 अप्रार्थीगणों ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुये कहा कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजीयात चरण संख्या - 2 में वर्णित आराजीयात	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:37:09 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

फर्द अहकाम

न्यायालय [illegible]

गुलाबदेवी — बनाम — सरकार

मुकदमा संख्या / वर्ष : ... /2023 /20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	02/5/24	का विभाजन मनबट से पूर्व में ही सहखातेदारों के मध्य हो चुका है, उसके आधार पर कुछ सहखातेदारों की भूमि पर आवासीय कॉलोनिया विकसित की जा चुकी है। अप्रार्थीगणों ने यह भी कथन किया कि प्रार्थीगणों के पिता/पति ने विवादित आराजीयत में से कुछ हिस्सा विक्रय कर दिया था, जिस पर आवासीय कॉलोनी विकसित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ना तो प्रथम दृष्टया मामला और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगणों के पक्ष में [illegible] प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर चुके हैं, जिस पर आवासीय	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:37:09 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय

गुलाब देवी व अन्य बनाम लाली देवी व अन्य

मुकदमा संख्या/वर्ष : / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02/5/24	कॉलोनी विकसित की जा चुकी है अतः प्रार्थीगणों को अपूरणीय क्षति कारित होने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण में माननीय अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के आदेशानुसार मौका-रिपोर्ट, तहसीलदार तह० जयपुर से तलब की गयी। मौका-रिपोर्ट में तहसीलदार, तह०, जयपुर ने स्पष्ट किया है कि — प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि ~~पर~~ प्रार्थी सं. 1 लगा० 5 एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 10 के नाम मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड, ग्राम निवारू के खसरा नं. 53 किस्म गैर मुमकिन आबादी, खसरा नं. 54 किस्म गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नं. 55 (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:37:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक तहसीलदार
जयपुर शहर उत्तर

फर्द अहकाम

न्यायालय — [illegible stamp]

गुलाबदेवी — बनाम — गमलीदेवी वगैरा

मुकदमा संख्या / वर्ष : 12/23 / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	02/05/24	किस्म - बारानी -। की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। हाल मौके पर आबादी व भूखण्ड विस्तार है तथा आंशिक भाग खाली है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं पेश की गयी नजीरें। न्यायिक दृष्टान्त का अनुशीलन करने पर हम पाते हैं कि — इस प्रार्थना -पत्र के चरण सं. -② में उल्लेखित विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सह-खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। विवादित अराजीयात खसरा 53, गैर-मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है। मौका - रिपोर्ट, तहसीलदार, तह० जयपुर के अनुसार, ~~विवि~~ विवादित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:47:09 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय [stamp]

गुलाब देवी व अन्य

मुकदमा संख्या / वर्ष बनाम लाली देवी व अन्य

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02/05/24	भूमि पर मौके पर आबादी एवं भूखण्ड विकसित किया जाना अंकित किया है। चूंकि यह प्रार्थना-पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया गया है, इसलिए रिकॉर्ड एवं मौका अनुसार भूमि कृषि उपयोग में नहीं होने से ना तो प्रथम दृष्टया मामला और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगणों के पक्ष में सिद्ध होता है। अप्रार्थीगणों ने सशपथ बयान किया है कि प्रार्थीगणों के पिता ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर दिया था, जिस पर आवासीय कॉलोनी [illegible] हो चुकी है अतः [illegible] को अपूरणीय क्षति कारित होने की भी सम्भावना नहीं है। विधि का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:37:59 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय ____________

गुलाब देवी व अन्य ____________ बनाम ____________ काली देवी व अन्य

मुकदमा संख्या / वर्ष : ____________ / 20____

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	02.05.24	सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान के हक व अधिकार मूलवाद में विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत साक्ष्यों की गुणवत्ता के अनुसार तय किए जावेंगे। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] रजिस्टर नम्बर से कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:37:09 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
[illegible]